न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 114 / 2019

1 बाबुलाल आयु 52 वर्ष पुत्र केशर जाति चेजारा निवासी लखीपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 चुकी देवी पत्नी सीताराम सैनी जाति माली निवासी ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर।
2 भूमिधारक जरिये तहसीलदार महोदय, सीकर।

रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय व आज्ञप्ति डिक्री दिनांक
30.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर
दावा संख्या 46 / 2018 बउनवानी चूकी देवी बनाम
बाबुलाल आदि

उपस्थिति :

1. श्री नवरंगलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिनेश कुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 14.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 46/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा वाके ग्राम लखीपुरा पटवार हल्का पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2119 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर के सम्बन्ध में एक दावा बाबत उदघोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहा प्रस्तुत किया था जिसमें योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की कोई तामिल की कार्यवाही पूर्ण करवाये बिना एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कैलाश व स्वरूपी की दावा दायरी से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी उस पर कोई ध्यान नही दिया इस प्रकार कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावा दिनांक 03.04.2018 को रिपोर्ट होकर न्यायालय के समक्ष पेश होने पर दावा दर्ज होकर प्रतिवादीगण को समन से तलब किए जाने के आदेश पारित किये गये थे एवं उपस्थिति हेतु तारीख दिनांक 03.05.2018 के पश्चात कोई तारीख नही दी गई सिधि ही दिनांक 30.05.2018 को बिना प्रतिवादीगण को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित करने में सख्त कानूनी भूल की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने में सहमती व्यक्त की है।

प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। दावा दिनांक 03.04.2018 को रिपोर्ट होकर न्यायालय के समक्ष पेश होने पर दावा दर्ज होकर प्रतिवादीगण को समन से तलब किए जाने के आदेश पारित किये गये थे एवं उपस्थिति हेतु तारीख दिनांक 03.05.2018 के पश्चात कोई तारीख नही दी गई है अपितु सीधे ही दिनांक 31.05.2018 को बिना प्रतिवादीगण को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो पूर्णतया विधि विरूद्व है। रेस्पोडेंट ने भी अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने में सहमती व्यक्त की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रणवीर सिंह चौधरी)
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर